

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं० संख्या-2/शि०स्था०-60- /2015- पटना, दिनांक-

आदेश

श्री नन्द जी राम, मैट्रीक सहायक शिक्षक, राजकीय अंबेदकर आवासीय उच्च विद्यालय मनफर (गया) को स्थानांतरित करते हुए राजकीय अंबेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, अरवली गया में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

2- श्री सुरेश चौधरी, मैट्रीक सहायक शिक्षक, राजकीय अंबेदकर अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, बड़गांव, खुर्द, कैमूर को स्थानांतरित करते हुए राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय, अरवल में अगले आदेश तक के लिए पदस्थापित किया जाता है।

3- यह स्थानांतरण उक्त दोनों शिक्षकों के अनुरोध पर किया गया है, इसलिए इस स्थानांतरण यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4- स्थानांतरित शिक्षकों को माह, सितम्बर 2015 का वेतन नवपदस्थापित स्थान से देय होगा।

5- स्थानांतरण के प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ज्ञापांक-2/शि०स्था०-60- /2015-

सरकार के विशेष सचिव।
पटना, दिनांक 2/12/15

प्रतिलिपि- संबंधित कोषागार पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी, गया/कैमूर/अरवल/प्रधानाध्यापक, राजकीय अंबेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, मनफर (गया)/प्रधानाध्यापक, राजकीय अंबेदकर अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, बड़गांव, खुर्द, कैमूर/श्री नन्द जी राम, मैट्रीक सहायक शिक्षक, राजकीय अंबेदकर आवासीय उच्च विद्यालय, मनफर (गया)/श्री सुरेश चौधरी, मैट्रीक सहायक शिक्षक, राजकीय अंबेदकर अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय, बड़गांव, खुर्द, कैमूर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2- संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि स्थानांतरित शिक्षकों को नवपदस्थापित स्थान पर योगदान हेतु शीघ्र विरमित कर विभाग को सूचित करें।

सरकार के विशेष सचिव।